

राजस्थान-सरकार
न्यायालय नायब तहसीलदार नोखड़ा

प्रकरण संख्या 13/2025

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
हल्का पटवारी निम्बलकोट

बनाम

अप्रार्थी
केसाराम वल्द सालूराम, कौम जाट (जाणी),
निवासी निम्बलकोट,
तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक:- 06.10.2025


-: निर्णय :-

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का निम्बलकोट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा निम्बलकोट के खसरा संख्या 177 रकबा 1.3753 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ओरण में से 0.0150 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की नियत तिथि 06.10.2025 को प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया गया। अतः राजस्थान भूरा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी घोषित किया जा कर कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है जिस पर अप्रार्थी का अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 02 पैसा का राउण्ड अप 01 रुपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी द्वारा बनायी गयी रांग(नींव) हटाकर सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी निम्बलकोट व ILR नोखड़ा तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


नायब तहसीलदार नोखड़ा